

कार्यालय आदेश

श्री जीवन राम चौधरी कनिष्ठ लेखाकार के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर द्वारा दर्ज अपराध संख्या 172/2006 के कम में इस विभाग द्वारा दिनांक 02.04.2014 को अभियोजन स्वीकृति जारी करने के फलस्वरूप विभागीय आदेश संख्या 422/2013-14 दिनांक 02.04.2014 के अनुसार श्री जीवन राम चौधरी को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया गया था।

निलम्बित कार्मिकों की बहाली हेतु गठित कमेटी की अभिशंषा के आधार पर श्री चौधरी को विभागीय आदेश संख्या 122/2018-19 दिनांक 15.06.2018 के अनुसार निलम्बन से बहाल कर उनका पदस्थापन क0 लेखाकार के पद पर किया गया तथा निलम्बन अवधि का निर्णय माननीय न्यायालय के निर्णय के अधधीन किये जाने का आदेश जारी किया गया।

श्री जीवन राम चौधरी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सी रिट संख्या 94/2015 में दायर की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 19.08.2019 के अनुसार उक्त याचिका को एस.बी किमिनल रिट पिटिशन संख्या 494/2016 से कनेक्ट करते हुए श्री चौधरी के विरुद्ध जारी अभियोजन स्वीकृति दिनांक 02.04.2014 को Bad in law मानते हुए quash करने का आदेश दिनांक 19.08.2019 जारी किया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 19.08.2019 की पालना में राज. सेवा नियमों के नियम संख्या 54 (2) के अन्तर्गत श्री जीवन राम चौधरी के निलम्बन की अवधि (दिनांक 02.04.2014 से 15.06.2018 तक) को समस्त प्रयोजनार्थ सेवाकाल मानते हुए तदनुसार वेतन एवं भत्ते दिए जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

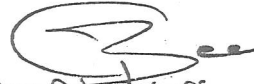

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/नि.प.(74/1990)/अलेसे-III/5363

दिनांक:-13/03/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. संयुक्त शासन सचिव वित्त (राजस्व) विभाग, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, संभाग कार्यालय, अजमेर।
3. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज. अजमेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा।
5. कोषाधिकारी, कोषालय, अजमेर।
6. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. श्री जीवन राम चौधरी, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियंता पी.डब्ल्यू.डी, संभाग कार्यालय, अजमेर।
8. रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)